न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 209/2016

जीसीएमएस नं. :–2016/209

विजय पुत्र बनवारीलाल जाति ओड निवासी लुढाणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र
2. गुड्डी देवी पुत्री
3. सुलतानी पुत्री

} भीखाराम अकवाम ओड निवासीयान लुढाणा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएक्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 23.03.2008

द्वारा आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी, पीलीबंगा

प्र. सं. 30/41/2008 अनवान गुड्डी सुलतानी बनाम स्टेट

उपस्थितिः–

श्री धीर सिंह बराड़, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री शिवदत्त पंवार, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2, 3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

निर्णय दिनांक 26.5.23

1. यह अपील आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी पीलीबंगा के आदेश दिनांक 28.03.2008 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा चक 10 एनएसडब्ल्यू के प. नं. 25/338 के किला नं. 1 ता 25 भूमि कीमत राशि आवंटन नियमन 1975 के नियम 15 (5) बी पुख्ता आवटित की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त भूमि को आवंटन हेतु निवेदन करना व उस पर अधीनस्थ न्यायालय उप निवेशन आयुक्त हनुमानगढ द्वारा दिनांक 27.3.79 को स्थगन आदेश पारित किया गया है कि उक्त भूमि बनवारी पुत्र श्री भीखाराम के कब्जे में है। इन तथ्यों का अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अपने पिता से प्राप्त भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 4.4.1985 को पंजीयन करवाई जिसें भी बनवारी लाल को खोलायत पुत्र होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेण्ट न एक दस्तावेज राजीनामा हक त्याग दिनांक 10.09.1985 को प्रसतुत किया जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 बनवारी पुत्र भीखाराम को अपना भाई स्वीकार किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बनवारी को भीखाराम का पुत्र होना न होना कोई विधि सम्मत निर्णय में कोई आदेश पारित नही किया है। अपीलांट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का पुत्र है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जो नशे का आदी है तथा अपनी बहनों के बहकावे में आकर एवं नशा के दौरान कही भी कोई खाली कागजों पर हस्ताक्षकर कर अपीलांट के दादा से प्राप्त होने वाली भूमि को खुर्द बुर्द कर सकता है। उक्त भूमि अपीलांट क दादा से भीखाराम की भूमि सरप्लस होने पर बनवारी के कब्जा काश्त में रही है तथा उक्त भूमि में अपीलाट व अपीलांट की बहिनें सीमा, मैना व मन्जू के हित निहित हाने से बनवारी लाल के 1/3 हिस्सा में हक व अधिकार है इसलिए अपीलांण्ट उक्त निर्णय को तृतीय पक्षकार के रूप में अपील पेश कर चुनौती दी है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय दिनांक 28.03.2008 का ज्ञान अपीलांट को रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 द्वारा दिनांक 15.05.2016 अपीलांट के घर पर बताया कि उक्त भूमि हमारे नाम हो गई है, जिस पर प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय पीलीबंगा में निर्णय की नकल आदि प्राप्त कर तब पता चला कि आवेदन बालिग पुत्र का दिनांक 28.03.2008 को खारिज कर दिया तथा रेस्पो0 सं0 2 व 3 को बालिग होना मान लिया जिसका अपीलांट को पूर्व में ज्ञान नहीं था। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण सं0 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 28.03.2008 को पारित किया गया है एवं इस आदेश की अपील अपीलाण्ट ने लगभग 8 वर्ष बाद दिनांक 29.08.2016 को पेश की है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है कि उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान 8 वर्ष बाद दिनांक 15.05.2016 को हुआ है, जबकि इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का उचित कारण नही बताया है। अपीलांट का पिता बनवारी लाल अभी जिंदा है अपीलांट ने कोई खोलानामा पेश नही किया है। माननीय न्यायालय में अपील बनवारी लाल बनाम स्टेट 18/2008 व 31/2008 प्रस्तुंत की थी जो कालांन्तर में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2011 को अपीलांट के पिता बनवारी लाल की अपील खारिज कर दी थी जिसके विरूद्ध बनवारीलाल ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की, जो दिनांक 05.09.2013 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में खारिज कर दी गई, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि में बनवारीलाल का कोई हक हिस्सा नही थाजब बनवारी लाल का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं था तो उसके पुत्र विजय कुमार का कोई हक हिस्सा नही पैदा हो सकता। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 बुजुर्ग व ग्रामीण परिवेश की महिलाऐं है जिनको तंग परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील पेश की है । विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसाार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. चक 10 एनडब्ल्यू के प. नं. 25/338 की 25 बीघा भूमि सरप्लस होने पर अपीलांट के पिता बनवारीलाल ने दिनांक 27.12.1987 को बालिग पुत्रों को भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुंत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायलाय ने बनवारी को छोड़कर दोनों पुत्रीयों को बालिग होना मानकर भूमि आवंटित कर दी। उक्त भूमि में बनवारी का 1/3 हिस्सा था। अपीलांट ने उक्त भूमि में बनवारी का 1/3 हिस्सा होना मानते हुए बनवारी का पुंत्र होने के कारण उस भूमि में अपना हित बताया है, परन्तु अपीलाण्ट के पिता बनवारीलाल ने अपीलीय आदेश के खिलाफ पूर्व में बनवारी बनाम राज0 स्टेट अपील प्रस्तुंत की थे जो प्रकरण संख्या 18/2008 व 31/2008 न्यायालय में दर्ज हुई जो दिनांक 29.09.2011 को बनवारीलाल की अपील खारिज कर दी थी, जिसके

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्ध बनवारीलाल ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 05.09.2013 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में खारिज कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि में बनवरीलाल का काई हक हिस्सा नहीं था, जब बनवारीलाल का उक्त भूमि में हक हिस्सा नहीं है तो उसके पुत्र विजय जो कि अपीलाण्ट है, उसका कोई हक पैदा नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2008 को पारित किया गया है जिसकी अपील अपीलाण्अ ने दिनांक 29.08.2016 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। दिनांक 05.07.2013 को प्रार्थी के पिता ने राजीनामा लिख भी दिया था सिजके बाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जेरकार अपील को विड्रा किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह तथ्य भी स्वीकार योग्य नही है कि अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं था। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पिता बनवारीलाल की पूर्व में अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में खारिज हो चुकी है। बनवारी लाल का प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रह जाता है। बनवारीलाल अभी जीवित है जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 है। बनवारी लाल का कोई हक हिस्सा नहीं होने के कारण अपीलाण्ट का बनवारीलाल का पुत्र होने के आधार पर कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः अपीलाण्ट काधारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने क कारण अपील भी खाजिर किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र ख़ारिज किया जाता है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/5/23

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ